कार्यालय नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद बागपत।

पंत्राक : 261 / न0पं0अ0 / बागपत / ई–निविदा / 2022–23 दिनांक : 29.03.2023

अति अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

एतद्द्वारा आयकर और जी0एस0टी0 में रजिस्टर्ड फर्मो में पंजीकृत समस्त ठेकेदारों / सरकारी / अर्द्वसरकारी सार्वजनिक उपकम की कम्पनियों / निजी निर्माता कम्पनियों व उनके अधिकृत डीलरों को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत राज्य सेक्टर के पेयजल हेतु व्यवस्था योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि से कार्य कराना चाहती है। कार्यो की ई–निविदा के माध्यम से दो बिड सिस्टम के आधार पर ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा की समय–सारणी https://etander.up.nic.in पर उपलब्ध है।

1	ई–निविदा रेफरेन्स संख्या	261 / न0पं0अ0 / बागपत / ई–निविदा / 2022–23 दिनांक : 29.03.2023
2	वेबसाईट पर ई–निविदा प्रकाशन की तिथि / समय	01.04.2023 को प्रातः 10.00 बजे
3	ई–निविदा डाउनलोड / अपलोड की प्रारम्भ तिथि / समय	01.04.2023 अपरान्ह 02.00 बजे से
4	ई–निविदा डाउनलोड / अपलोड की अन्तिम तिथि / समय	06.04.2023 को दोपहर 2.00 तक
5	ई–निविदा खोलने की तिथि / समय / स्थान	06.04.2023 को सांय 04.00 नगर पंचायत अमीनगर सराय
6	ई–निविदा शुल्क हेतु पंचायत खाते का विवरण	A/C NO. 0512000100482157 IFSC CODE-PUNB0051200

नोटः– ई–निविदा हेतु उल्लिखित कार्यो का विवरण उनकी आगणन लागत, निविदा की धरोहर राशि (EMD) निविदा मूल्य के शुल्क तथा समय अवधि का विवरण, शर्ते व प्रतिबन्ध ई–टेन्डर पोर्टल https://etander.up.nic.in व नगर पंचायत की वेबसाइट www.npaminagarsarai.com पर दिनांक 01.04.2023 को अपरान्ह 02.00 बजे से देखी जा सकती है। ई–निविदा की धरोहर निविदा मूल्य का शुल्क अलग–अलग ऑनलाइन जमा कराकर स्लिप / प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अनिवार्य रूप से ई–निविदा के साथ अपलोड की जानी है। किसी भी ई–निविदा पर धरोहर धनराशि के बिना कोई विचार नहीं किया जायेगा। किन्ही कारणवश उक्त तिथि में अवकाश होने पर अगला कार्यदिवस माना जायेगा। ई–निविदा की नियम व शर्ते तथा ई–निविदा से संबंधित अन्य जानकारी किसी भी कार्यदिवस में नगर पंचायत कार्यालय में देखी जा सकती है।

(तहजूब)
लिपिक न0प0
अमीनगर सराय

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अमीनगर सराय
सदस्य त्रिसदस्यी समिति

अपर जिलाधिकारी(वि. / रा.)
बागपत
सदस्य त्रिसदस्यी समिति

प्रतिलिपि : निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, बागपत।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0) महोदय / प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, बागपत।
3. श्री तहजूब लिपिक को इस निर्देश के साथ कि इस विज्ञिप्त को नगर पंचायत अमीनगर सराय की वेबसाइट www.npaminagarsarai.com पर अपलोड करें।
4. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. सम्पादक पंजाब कैसरी / शाह टाइम्स पत्र को इस आशय से प्रेषित है कि कम से कम स्पेश में सरकारी दरों पर छापते हुये अपना बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करे।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अमीनगर सराय
जनपद बागपत।

Office Of The Nagar Panchayat Aminagar Sarai, District Baghpat.

Notice Inviting Tenders for e tendering.

Letter No : 261/N.P.A./2022-23 Date : 29-03-2023

The Nagar Panchayat Aminagar Sarai Invites the percentage rate bids thourgh e-tendering system from the eiligble and approved Contractors registered with autonomous body/pubic sector Department/State Government/Central Government of any government department. The Bidder may submit bids for any or all of the works.

Name of work as per table.

Sl. No.	Name of District	Name of work	Total estimated cost (in Lakh)	Bid security (EMD) to be deposited in account as mentioned 10%	cost of bid document including GST (if any) in rupes to be deposited in account as mentioned	Period of completion including rainy season
1	2	3	4	5	6	7
1	बागपत	कस्बा अमीनगर सराय में पेयजल हेतु 01 नलकूप अधिष्ठापन का कार्य।	2623634.00	262363.00	13118+2361 = 15479	06 Month
2	बागपत	अमीनगर सराय में पेयजल हेतु नलकूप के कमरे का निर्माण कार्य।	313472.00	31347.00	1567+282 = 1849	06 Month
3	बागपत	कस्बा अमीनगर सराय में मिनी नलकूप अधिष्ठापन का कार्य।	525300.00	52530.00	2626+472 = 3098	06 Month
4	बागपत	वार्ड न0 2 चौराहे से पंजावा बस्ती तक पेयजल हेतु 300 मीटर पाईप लाईन का कार्य।	155433.00	15543.00	777+139 = 916	06 Month
5	बागपत	वार्ड न0 6 फौवारा चौक से जनता स्कूल तक पेयजल हेतु पाईप लाईन का कार्य।	187913.00	18791.00	939+169 = 1108	06 Month
6	बागपत	वार्ड न0 03 भूषण की दुकान से शमशान तक पेयजल हेतु पाईप लाईन का कार्य।	538164.00	53816.00	2690+484 = 3174	06 Month
7	बागपत	वार्ड न0 05 सुभाष के घर से चौ0 चरणसिंह मार्ग तक पेयजल हेतु पाईप लाईन का कार्य।	168239.00	16823.00	841+151 = 992	06 Month
8	बागपत	वार्ड न0 10 आशाराम के मकान से जयमगवान के मकान तक सहायक गलियों सहित पेयजल हेतु पाईप लाईन का कार्य।	111021.00	11102.00	555+99 = 654	06 Month
9	बागपत	वार्ड न0 04 राकेश शर्मा के मकान से पशु अस्पताल तक सहायक गलियों सहित पेयजल हेतु पाईप लाईन का कार्य।	114905.00	11490.00	574+103 = 677	06 Month
10	बागपत	वार्ड न0 06 पवन की दुकान से सुधीर की दुकान तक सहायक गलियों सहित पेयजल हेतु पाईप लाईन का कार्य।	131028.00	13102.00	655+177 = 772	06 Month

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अमीनगर सराय
(बागपत)

1. Date of availability of bid Documents on website : **01-04-2023**
2. Aviailability of Bid Documents and mode of and mode of submission : The bid documents is available online and should be submitted online in https://etender.up.nic.in. The bidder would be required to register itself in https://etender.up.nic.in for submission of the bids, the bidder is required to have a vaild Digital Signature Certificate (DSC) issued from any one of the authorized Certifying Authorities Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering.
3. Cost of Bid Document : as per coloum 6 (non-refundable). to be deposited in the account of UP e-tender online Account through e-tender portal by Internet Banking you can also deposit the cost of the documents through RTGS/NEFT, account detail are follow. Account no. 0512000100482157, IFSC code- PUNB0051200, Punjab National Bank, Branch Aminagar Sarai Baghpat. All concerned please note that the bidding process will not move onward if the Bid Document's Cost (tender fee) is not paid through e-tender portal by Internet banking.
4. Bid Secuirty (EMD) : Bids must be accompanied with bid security of the amount specified for the work in the table as per column 5. Bid security will be deposited in the account of UP e-tender online Account through e-tender portal by Internet Banking you can also deposit the cost of the documents through RTGS/NEFT, account detail are follow. Account no. 0512000100482157, IFSC code- PUNB0051200, Punjab National Bank, Branch Aminagar Sarai Baghpat. All concerned please note that the bidding process will not move onward if the Bid Security (EMD) is not paid through e-tender portal by Internet banking. No other form of bid security will be accepted.
5. Submission of Original Documents : The bidders are required to submit the following document alongwith bid id genetaed after bid submission by the bidder.

(a) Affidavit regarding correctness of information furnished with bid documents as per-provisions of Clause 3.1 (a) (i) of ITB with the office specified in the Data Sheet,

(b) Self Attested bid id sheet generated after submission of bid through e-tender portal

As per UP Govt. order No 01/2018/3070/78-2-2018/42IT/2017(22)/03.01.2018 bidder is reqrired to submit these three original documents either by registered post or by hand in the employer office before or after three days of opening of financial bid failing which the resistration of the bidder will be cancelled and also he/she will be black listed.

Original documents must match the scanned copies submitted along with the bids online. In casw. of any discrepancy in this respect. it will be treated as misrepresentation by the bidder. Such bidder shall be liable to be debarred for participating in bids for one years.

Employer Office : Nagar Panchayat Aminagar Sarai.

6. Last Date/Time for receipt of bids through e-procurement : **06-04-2023. up to 2.00 PM**
7. Date of opening of bisd through e-procurement : **06-04-2023 at 04:00** PM in the office of the Nagar Panchayat Aminagar **Sarai.**
8. For Further details please log on to https://etender.up.nic.in. and down load the bid document.
9. Time allowed for completion of each work is as mentioned in columm no. 7, including rainy season.
10. The bids shall remain valid for acceptance for a period of 90 (ninety) days form the last date of submission of bids. Bids once submitted can not be withdrawn after the deadline date of submission of bids.
11. Site of work can also be made available in phases.
12. Bid must be submitted through e-procurement : on or before dated **06-04-2023 up to 2:00 PM**
13. Each Bidder is required to submit the scanned copy of the following affidavit and documents online and original copy ot the time signing of agreement.

(a) An affidavit on Format T-6 on a single non-judicial stamp paper of Rs.100.00

(b) An affidavit that Bid is valid for 90 days and Bidder has neither criminal record nor registered in any bar council in non-judicial stamp paper of Rs 10.00

(c) Self- attested copy of valid T-4 Character certificate issued by DM/Collcetor.

(d) Self- attested copy of valid T-5 Solvency certificate issued by DM/Collcetor.

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अमीनगर सराय
(बागपत)

(e) Self- attested copy of valid registration certificate of appropriate class in autonomous body/Public Sector Department/State Government/Central Government of any government department.

(f) Authorized address of the bidder : email-id, mobile no, facsimile no, and contact address written on his/her letter pad duly signed.

14. A bidder shall not be permitted to bid for works in the in the UIB responsible or award and execution of contracts in which his/her/her spouse' s near relatives (defined as first blood relations, and their spouses) is posted as an officer in any capacity between the gareds of Elected member of Nagar Nigam/Nagar Palika/Nagar Panchayat, Muncipal Commissioner, chief Engineer, Executive Engineer, Assistant Engineer, Junior Engineer, accountant and departmental clerk, Exceutive officer/UNA/ANA/KNA etc. Bidder shall also submit an affidavit clearly mentioning the names and desiganation of relatives working in any capacity in the ULB responsible for award and execution of work.

15. Any retired Gazette officer (retired within one year) from any state/Central Government is not allowed to work in the contractor establishment without Government permission. This contract is liable to be cancelled if either the Contractor of any of his/her employess is found any time to be such a person who had not obtained the permisiion of the Government as aforesaid before submission of the tender or engagement in the contractor' s service. Same condition will be applicable for the other retired employee of this department.

16. Bid documents and other details consisting of eligibility criteria of bidders, plans specifications, drawings, the sehedule of quantities of the various classes of work to be done the set of terms & conditions of contract to be complied with by the Contractor can be down loaded from the website https://etender.up.nic.in.

17. Any bidder who is punished by any Honorable Court for any criminal activity is not allowed to participate in the bidding process.

18. Any bidder who is registered with any bar council is not allowed to participate in the bidding process.

19. Conditional Bid will not be accepted.

20. Work cannot be sublet to any other contractor.

21. the Bidder is required to tegister his/her labour in the labour department within a week from the date of receiving the letter of start of work.

22. Each bidder is required to register his/her rate online in the attached BOQ along with on Section-6 and Form of bid part I and II of Section-5

23. Bidder is reqrired to sumbit the following affidavit and document at the time of signing of agreement.

(a) An affidavit on a single non-judicial stamp paper of Rs.100.00 the bidder must not have in his/her employment:

(i) The near relations (defined as first blood relations, and their spouses, of the bidder or the bidder's spouse) of persons listed in the Appendix to ITB.

(ii) The near relations (defined as first blood relations, and their spouses, of the bidder of the bidder's spouse) of persons listed in the Appendix to ITB.

(iii) Any person without Government permission. who retired as gazette officer within the last one years from any Central or State Government Departments listed in the Appendix to ITB.

(iv) He/she eill own/arrange the machinery and eqruipment, as per requirement of work.

(v) He/she will not sublet the work to another contractor.

(b) Self-attested copy of PAN of firm or contractor.

(c) Self-attested copy of GST registration certificate..

(d) Self-attested copy of labour registration certificate issued from Labour Deptt.

(e) Bid Capacity Calaculation Sheet.

24. The GO No 3385/86-2015-292/2015 dated 15-10-2016 issued by UP Mining Department as amended time to time will be enforced for Royalty deductions.

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अमीनगर सराय
(बागपत)

25. The bidder must be satisfied himself before submission of that he/she has sufficient bid capacity to execute the work and he/she has to submit bid capacity calculation sheet at the time of submission of bid.
26. Any circular or instruction issued by National Green Tribubnal will be applicable to the contractor.
27. After issue of Notice of Proced with the Work, the contractor will submit the name of the labours to be employed at the concerned work site registered by labour Department.
28. All notice and letter sent to e-mail given by the bidder and SMS on regsistered cell phone of the bidder will be presumed that has been received by the bidder.
29. Various Government Order/Directorate Order issued time to time will be enforced.
30. For works amount up to Rs 40.00 lakhs, 10 percent security deposit will be deposited at the time of tender. For the work amount up to Rs. 40.00 Lakhs, 10% security deposit will be deposited or first amount up to 40.00 lakhs and remaining amount (above 40.00 lakhs) security deposit at the rate of 05% will be deposited in addition at the time of tender.
31. Government Order No. 0-622/23.12-2012/08 TC, Dated 08-06-2012 regarding acceptance of work in percentage bills tender as sell as additional security / performance guarantce to save the condition of leaving the work by the contractor / firm in construction works, instructions have been given. Additionl security / performance guarantee will be taken at the rate of 0.50 percent for each percnt below estimated cost for bids up to 10 percent below the estimated cost of work and the rate of 1 percent of each percent beyond 10 percent below tenders as mentioned in Go.
32. Other details can be seen in the bidding documents. The Employer shall not be held liable for any delays due to system failure beyond his/her control. Even tough the system will try to notify the bidders of any bid updates, the employer shall not be liable any information not received by the bidder. It is the biddesrs' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.
33. This RFP is not transferable.
34. A word importing a gender includes any other gender or references to any gender shall include the other and be neutral gender.
35. A Bidder shall not have a conflict of interest ('Conflict of Interest'') that affects the Bidding Process. Any Bidder found to have a Conflict of Interest shall be disqualified. In the event of disqualification, the Directorate shall be entitled to forfeit and appropriate the Bid Security or Performance Security as the case may be.
36. Right to reject any or all Bids Notwithstanding anything contained in this bid, the client reserves the right to reject any Bid and to anuul the Bidding Process and reject all Bids at any time without any liability or any obligation for such acceptance, rejection or annulment, and without assigning any reasons thereof. In the event that the Client rejects of annuls all the Bids, it may, in its discretion, invite all Eligible Bidders to submit fresh Bids hereunder Any condition or criteria or an other stipulation contained in the Bid shall render the Bid liable to rejection.
37. As per latest CVC guidline Bank guarantee and interest shall be furnished by the contractor for mobilization advance.
38. All necessary approvals and clearances are the obligations of the Bidder.

अन्य नियम व शर्तें निम्न प्रकार है :

1. निविदा प्रपत्र के साथ 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि बैंक एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अमीनगर सराय, बागपत के पदनाम से बन्धक जमा कराना अनिवार्य होगा अथवा धनराशि आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद बागपत के खाता संख्या 0512000100482157 आई0एफ0एस0सी0 PUNB0051200, पंजाब नैशनल बैंक, शाखा अमीनगर सराय, जनपद बागपत में जमा कर सकते है। बैंक में जमा धनराशि की स्लिप की मूल प्रति की स्कैन प्रति टैण्डर के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा अवैध मानी जायेगी व सशर्त निविदा पर विचार नही

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अमीनगर सराय
(बागपत)

किया जायेगा। प्रत्येक कार्य की धरोहर धनराशि व निविदा मूल्य की धनराशि अलग–अलग जमा करना अनिवार्य होगा।

2. निविदा स्वीकृति के उपरान्त प्रत्येक ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को अंकन 10.00 रूपये के स्टाम्प पेपर पर जो नोटरी द्वारा सत्यापित हो हलफनामा/वचनपत्र देना होगा तथा 100.00 रूपये के स्टाम्प पेपर पर निकाय की शर्तो के अनुसार अनुबन्ध करना होगा।
3. शासनादेश संख्या–24वीआई0पी0(1)/नौ–5–17–120 बजट/2013 दिनांक 24.08.2017 के अनुपालन में ठेकेदार को निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 05 वर्ष तक अनुरक्षण/रखरखाव करना होगा।
4. ठेकेदार के बिल से कार्य की कुल लागत की 05 प्रतिशत धनराशि पर फार्मेन्स गारन्टी के रूप में 05 वर्ष रोकने के पश्चात निर्माण कार्य सडक के समुचित रख–रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी। निविदा दाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश स0 622/23–12–2012 2 ऑडिट/09टी0सी0–2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक निविदा दरे प्राप्त होने पर 0.50 प्रति प्रतिशत दर तथा 10 प्रतिशत से ज्यादा निम्न दरों पर 01.00 प्रति प्रतिशत की दरों में परफॉर्मेंस गारंटी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करने के उपरान्त अनुबन्ध किया जाएगा निविदादाता द्वारा उक्त अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी जमा किए जाने पर निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि को पालिका में जब्त कर लिया जाएगा।
5. निविदा मूल्य के साथ 03 प्रतिशत धरोहर धनराशि के रूप में एफ0डी0आर0 जमा करनी होगी, जो अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद बागपत के नाम बन्धक होगी, बिना धरोहर धनराशि या समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। कार्य आबंटित ठेकेदार/फर्म को 07 प्रतिशत जमानत धनराशि की एफ0डी0आर0 अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद बागपत के नाम बन्धक कर कार्यालय में जमा करनी होगी।
6. समस्त ठेकेदारों/फर्मो के द्वारा शासनादेश संख्या–8/2017/836/23–7–17–176 (सा0)/06 लोक निर्माण विभाग अनुभाग–7 दिनांक 08.06.2017 का अनुपालन किया जायेगा।
7. शासनादेश संख्या 0145/नौ–9–2013 दिनांक 10.12.2013 के द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदारो पंजीयन एवं श्रमिकों के पंजीयन कराये जाने अनिवार्य होगे। प्रत्येक निविदा कार्य का पंजीयन ठेकेदार/संस्था को कार्यादेश प्राप्ति पर श्रम विभाग से कराकर नगर पंचायत में जमा करना होगा।
8. नगर पंचायत अमीनगर सराय, बागपत में निर्माण कार्यो को करने के लिए ठेकेदार/फर्म को प्रपत्र एम0एम0–11 जमा कराना अनिवार्य होगा।
9. यदि ठेकेदार/फर्म का पंजीकरण समाप्त हो गया है तो निविदाता को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता को जी0एस0टी0 व इन्कम टैक्स में पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा पैन/जी0एस0टी0 नम्बर संलग्न करना अनिवार्य है।
11. ठेकेदार/फर्म के पास जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया वैध हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
12. निर्धारित जमानत राशि निविदा के साथ जमा करनी अनिवार्य होगी अन्यथा निविदा निरस्त मानी जायेगी।
13. ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य शुरू करने से पूर्व अधिशासी अधिकारी/अवर अभियन्ता को सूचना देनी अनिवार्य होगी।
14. समस्त निर्माण कार्य गुणवत्ता व उत्तम प्रकार की सामग्री द्वारा ही किया जायेगा।
15. ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित कार्य से संबंधित रेखाचित्र डिजाईन–प्रविशिष्टयों आदि का भली प्रकार अवलोकन एवं ज्ञान प्राप्त कर लेगा तथा कार्य संबंधित दिये गये निर्देशों का यथावत पालन करेगा।
16. ठेकेदार/फर्म द्वारा निर्माण कार्य अवर अभियन्ता, नगर पंचायत अमीनगर सराय, बागपत की रेखरेख में करना होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अमीनगर सराय
(बागपत)

17. ठेकेदार/फर्म कार्य को अनुमोदित एवं निर्धारित कोटि के सामग्री सा0 नि0 विभाग विस्तृत विशिष्टियों आदि के अनुसार नियम अवधि में संतोषजनक रूप से सम्पन्न करेगा।
18. ठेकेदार/फर्म कार्य के दौरान कार्य स्थल पर स्वयं रहेंगा या अपने प्रबंधक को कार्य स्थल पर रखेगा जिससे कार्य के संबंध में आवश्यक निर्देश यथा समय उसे दिया जा सके। ठेकेदार/फर्म ऐसे नियुक्त किये प्रबंधक की सूचना नगर पंचायत अमीनगर सराय कार्यालय में लिखित रूप से देगा।
19. कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करने के पश्चात ठेकेदार/फर्म नगर पंचायत कार्यालय को लिखित में सूचना देगा तथा कार्य स्थल से समाप्त मलवा आदि अपने व्यय से स्वयं हटायेगा।
20. ठेकेदार/फर्म कार्य के लिए आवश्यक सभी उपकरण, यंत्र, सीढी, रोड रोलर, पानी, मिक्सर आदि का प्रबंध अपने व्यय से स्वयं करगा। सुरक्षात्मक व्यवस्था हेतु सूचना पट, लालटेन आदि की व्यवस्था भी स्वयं अपने व्यय से करेगा तथा माप तौल करने हेतु आवश्यक मजदूर की भी स्वयं व्यवस्था करेगा।
21. ठेकेदार/फर्म को कार्य निर्धारित अवधि में समाप्त करना होगा। अकारण अवधि नही बढाई जायेगी। ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य नियत अवधि में समाप्त न करने की दशा में नगर पंचायत कार्यालय को अवशेष कार्य के प्रतिशत के बराबर अर्थ दण्ड प्रतिदिन की दर से ठेकेदार/फर्म के विलो या जमानत आदि से प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा ब्लैक लिस्ट करने पर आदि कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।
22. ठेकेदार/फर्म अपरिहार्य परिस्थितिवश अवरोध उत्पन्न होने के कारण नियम अवधि से एक सप्ताह पूर्व लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी से समय बढाने की प्रार्थना कर सकता है, जिसे अधोहस्ताक्षरी उचित प्रतीत होने पर स्वीकार कर लेगा।
23. ठेकेदार/फर्म कार्य में उपयोग हेतु जो भी सामग्री कार्य स्थल पर लायेगा, वह नगर पंचायत कार्यालय की सम्पत्ति समझी जायेगी तथा विना लिखित स्वीकृति के कार्य स्थल से नही हटायी जायेगी तथा जिसे आवश्यकता पडने पर सक्षम अधिकारी के प्रस्तुत किया जायेगा।
24. ठेकेदार/फर्म को कार्य को ढकने अथवा समाप्त करने से पूर्व कम से कम 03 दिन पूर्व अवर अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी को लिखित रूप से माप तौल करने के लिए सूचना देगा, माप तौल करने के बाद ही ढकेगा अथवा समाप्त करेगा यदि उसके ऐसा न करने के कारण कार्य की जांच अथवा माप तौल के लिए कार्य को उखाडा गया तो इसमें जो भी व्यय होगा ठेकेदार/फर्म को वहन करना होगा।
25. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि आवश्यकतानुसार कार्य को स्वीकृत प्राक्कलन की मात्रा अथवा संख्या में न्यूनाधिक या मानचित्र में संशोधन कर लें तथा ऐसे न्यूनाधिक या संशोधन के कारण ठेकेदार/फर्म किसी लाभ या हानि का प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार न होगा किन्तु जो सामान ठेकेदार/फर्म द्वारा परिवर्तन की सूचना से पूर्व कार्य स्थल पर एकत्रित कर चुका होगा तथा जिसकी उपरोक्त कारणो से आवश्यकता न रहे तो अधोहस्ताक्षरी द्वारा उसका मूल बाजार भाव पर देकर सामान अपने अधिकार में कर लेगा।
26. अधोहस्ताक्षरी की ओर से जब तक लिखित आदेश न हो तो ठेकेदार/फर्म को स्वीकृत प्राक्कलन प्रारूप एवं रेखाचित्र के अनुसार कार्य करना होगा। प्राक्कथन में वर्णित आईटमो के अतिरिक्त यदि अन्य कोई आईटम अधोहस्ताक्षरी द्वारा ठेकेदार/फर्म से कराता है तो उसका भुगतान सा0नि0 विभाग के शैडयूल ऑफ रेट (दर अनुसूची) को तत्कालीन दर अथवा तत्कालीन दर अनुसूची आधारित विश्लेषित (Analy and sedrates) तत्कालीन मार्किट रेट में जो कम होगा पर किया जायेगा।
27. यदि कार्य निर्धारित मानक के स्तर का न हो तो प्रभारी अधिकारी/अधि''ासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अभियन्ता की संस्तुति के अनुसार रेट कम करके भुगतान कर दे, इसमें ठेकेदार/फर्म को कोई आपत्ति नही होगी।
28. यदि कार्य की अवधि में ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य के प्रयोग हेतु निम्न श्रेणी या अनुमोदित मानक से निम्न स्तर की सामग्री कार्य स्थल पर लायी जाती है तो ठेकेदार/फर्म को उसे अवर अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य स्थल से हटानी होगी न हटाने की दशा में सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अमीनगर सराय
(बागपत)

कि वह उक्त सामग्री को स्वयं हटवाकर ठेकेदार/फर्म के दायित्व पर उचित स्थान पर रखवा दे तथा व्यय ठेकेदार/फर्म से वसूल करने का अधिकार होगा।

29. ठेकेदार/फर्म की असावधानी या अकुशल मजूदर अथवा निम्न स्तर की सामग्री के प्रयोग के कारण यदि कार्य में कोई खराबी प्रतीत होती है तो ठेकेदार/फर्म को कार्य खराब होने के सात दिन के अन्दर उसे अपने व्यय से स्वयं ठीक करायेगा यदि ठेकेदार/फर्म उक्त खराबी को ठीक नही कराता है तो समक्ष अधिकारी को यह अधिकार होगा कि विभागीय या अन्य किसी एजेन्सी से ठीक करा ले एवं समस्त व्यय ठेकेदार/फर्म के बिलो या जमानत आदि से काट ले।

30. कार्य के चलते रहते निर्माण कार्य का देयक निर्धारित मुद्रित प्रपत्र पर ठेकेदार/फर्म मासिक रूप से सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। तदनुसार अवर अभियन्ता द्वारा विधिवत माप कर, गणना की जांच एवं आवश्यक कटौती आदि करके भुगतान संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

31. सीमेन्ट, तारकोल, ईटे आदि सामान के लिए स्टोर का प्रबंध ठेकेदार/फर्म को नकद/बिल से कटौती के आधार पर अनुमोदित दर से नगर पंचायत कार्यालय के गोदाम पर दिया जायेगा। बचा हुआ शेष सामान सही हालात में वापिस करना होगा ऐसा न करने की दशा में दुगनी कीमत ठेकेदार/फर्म के बिलो या जमानत आदि से काट ली जायेगी।

32. ठेकेदार/फर्म कार्य या कार्य के किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति को समक्ष अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना सबलेट नही करेगा।

33. जिस कार्य को सक्षम अधिकारी द्वारा शासकीय अनुदान के अन्तर्गत कराया जायेगा, उसके संबंध में ठेकेदार/फर्म को शासकीय आदेशो का पालन करना होगा।

34. ठेकेदार/फर्म उन समस्त दावों के संबंध में क्षतिपूर्ति देगा, जो किसी व्यक्ति की ओर से चाहे वह कारीगर हो या न हो, हानि पहुँच जाने के कारण किये जायेगे। नगर पंचायत किन्ही ऐसे दावे/दावो के विरूद्ध श्रमक्षति पूर्ति एक्ट 1923 की धारा (12) की उपधारा (1) के अनुसार या उसके संशोधन के अनुसार किसी न्यायालय में झगडने के लिए बाध्य न होगा, जब तक कि ठेकेदार इसके लिए लिखित प्रार्थना पत्र न दे और वांछित धन नगर पंचायत कोष में पहले जमा न कर दे जो नगर पंचायत को अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए यथेष्ठ हो।

35. सक्षम अधिकारी को यह भी अधिकार होगा कि ऐसा रूपया जो उपरोक्त या उसके विवेकानुसार क्षतिपूर्ति के रूप में देना पडे, तो वह ठेकेदार/फर्म को दी जाने वाली धनराशि से जो अनुबंध द्वारा या किसी अन्य हिसाब से ठेकेदार/फर्म की ओर निकलता है, काटकर प्राप्त कर लें।

36. यदि ठेकेदार/फर्म उपरोक्त धाराओ का पालन नही करता है तो समक्ष अधिकारी को अनुबंध/निविदा को निरस्त करने तथा इस अपूर्ण कार्य को किसी अन्य एजेन्सी से करा लेने का अधिकर होगा। इस प्रकार एजेन्सी से कार्य कराने में जो व्यय होगा, उसे ठेकेदार/फर्म के बिलो या जमानत राशि से वसूल करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

37. समय–समय पर प्राप्त होने वाले शासनादेशो के अनुपालन में ठेकेदार/फर्म को अपने द्वारा किये गये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता/रिपेयरिंग करनी अनिवार्य होगी।

38. ठेकेदार/फर्म के द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य/लायी गयी सामग्री के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति/दुर्घटना के लिए नगर पंचायत अमीनगर सराय, बागपत जिम्मेदार नही होगी इसके लिए समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की होगी।

39. ठेकेदार/फर्म के द्वारा नगर पंचायत अमीनगर सराय, बागपत द्वारा लागू की गई उपविधि में उल्लिखित शर्तो के अधीन कार्य कराना होगा।

40. यह निविदा सूचना, नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद बागपत की वेबसाईट http/ npaminagarsarai.com पर भी देखी जा सकती है तथा अन्य सम्बन्धित जानकारी किसी भी कार्य दिवस व समय में अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

41. ई–निविदा के साथ अपलोड किये गये समस्त अभिलेख नगर पंचायत कार्यालय में उसी दिन जमा करने अनिवार्य है।

42. शासनादेश संख्या– 2146/86–2019–52(सा0)/2019 का अनुपालन करना होगा।

43. ठेकेदार/फर्म की न्यूनतम निविदा स्वीकृत होने पर नियमानुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अमीनगर सराय
(बागपत)

44. ठेकेदार/फर्म द्वारा निर्माण कार्य हेतु लायी जाने वाली सामग्री ढककर लानी होगी तथा कार्य करते समय कार्य स्थल पर भी सामग्री ढककर रखनी होगी। निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार से वायु प्रदूषण नहीं करना होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की होगी।
45. शासनादेश संख्या– तक0सेल/07/निदे0/2019 दिनांक 28 जून, 2019 का पालन करना अनिवार्य होगा। ठेकेदार जिस श्रेणी के लिए अधिकृत होगा उसी श्रेणी में निविदा डालनी अनिवार्य होगी।
46. निविदादाता को सभी वाछिंत प्रमाण पत्रों की जिसमे ऑनलाइन निविदा शुल्क धरोहर धनराशि की जमा रसीद 100.00 रूपये के स्टाम्प की मूलप्रति एवं अन्य अभिलेख हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र, लैबर सैंस रजिस्टर नम्बर, पेन कार्ड, इनकम टैक्स रिर्टन गत वर्ष एवं आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि की स्पष्ट व पठनीय स्केन प्रतियां वेबसाइट पर अपलोड करना अनिर्वाय होगा अपठनीय एवं अस्पष्ट दस्तावेज टेंडर के साथ अपलोड होने पर निविदा निरस्त की दी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व स्वंय ठेकेदार/फार्म का होगा निविदा स्वीकृति समस्त पन्नो, प्रमाण पत्रों एवं अपलोड की मूल प्रति समय से कार्यालय में सीलवन्द लिफाफे के द्वारा जमा करने पर परीक्षण उपरान्त स्वीकृत की जायेगी मात्र पोर्टल पर निविदा स्वीकार किया जाना पर्याप्त नही होगा।
47. निविदा डालने हेतु निविदादाता को ई–प्रिक्योरमेन्ट वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है, निविदा डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाईंग प्राधिकरण द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, इसके न होने पर निविदा डालना संम्भव नही होगा।
48. आई0टी0बी0 के क्लाज सं0–44 बी0(सी0) (1) के अनुसार कोई भी निविदादाता जिनका सम्बन्धित अथवा उनकी पत्री कोई निकट सम्बंधी (प्रथम रक्त सम्बंधी अथवा उनकी पत्री) खण्डीय लेखा अधिकारी के रूप में कार्यरत हो अथवा अधिशासी अधिकारी स्तर से अवर अभियन्ता स्तर तक (दोनों को सम्मानित करते हुए) कार्यदायी खंड/वृत्त में कार्यरत होगी, वह निविदा डालने के लिए योग्य नही होगा निविदादाता द्वारा यह शपथ पत्र भी दिया जायेगा, जिसमें उसके संबंधियों के नाम तथा उनके पद नाम का उल्लेख होगा, जोकि कार्यदायी खंड एंव उससे संबंधित वृत्त में कार्यरत हो।
49. निविदादाता को निविदा के साथ 100.00 रूपये कॉस्ट ऑफ पेपर 01.00 रूपये को रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर युक्त संलग्न करना अनिवार्य हैं।
50. प्रत्येक निविदादाता को निविदा के मूल्यांकन हेतु 100.00 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर प्रमाण पत्र पर शपथ पत्र ऑनलाइन एंव मूल में देना अनिवार्य हैं।
51. निविदादाता का प्रत्येक निविदा के लिए सभी सूचनाए निर्धारित प्रारूप पर (टी–4टी–5) सक्षम अधिकृत हस्ताक्षरी से हस्ताक्षरित कराकर तथा टी–6 आदि मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। यदि फर्म पार्टनरशिप है तो सभी पार्टनर का टी–4, टी–5, तथा टी–6 संलग्न करना अनिवार्य होगा, विना सलंग्न निविदा के अनिवार्य नही होगा।
52. किसी भी ई–निविदा को बिना कारण बताएं स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा।
53. निविदा डालने से पूर्व समस्त नियम व शर्ते भलिभांति जान लें, किसी भी त्रुटि के लिए नगर पंचायत जिम्मेदार नहीं होगी।
54. फर्म/संस्था को आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म/संस्था किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था में पिछले 10 वर्षों में ब्लैक लिस्ट नही रही हो।
55. यदि फर्म/संस्था द्वारा संलग्न कई प्रपत्र जांच के दौरान असत्य पाया जाता है, तो सम्बन्धित फर्म/संस्था की धरोहर धनराशि जब्त तथा ब्लैक लिस्टड करते हुए फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
56. फर्म को 10.00 रूपये के स्टाम्प पेपर पर सत्यापन देना होगा की निविदा मे मांगी गयी कार्य करने की सभी टेक्निकल शर्तों को पूर्ण कर रहा है तथा निविदा अनुसार मांगा गया सामान लगाया जायेगा व एक माह का ट्रायल दिया जायेगा यदि फर्म यह शर्तें पूरा नही करती उसकी निविदा को

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अमीनगर सराय
(बागपत)

निरस्त मानते हुए द्वितीय न्यूनतम दर वाली फर्म को कार्य करने का अवसर दिया जायेगा, तथा प्रथम निविदा दाता की धरोहर राशि को जब्त करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

57. निविदा स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध की कार्यवाही निर्धारित प्रारूप पर कर दी जायेगी।

58. किसी भी वाद–विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र जनपद बागपत होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अमीनगर सराय
(बागपत)

ई-ऑफिस पत्रावली संख्या-9-5002(002)/72/2022
संख्या-61/2022/नौ-5-2022 /001-Com. No.1665844

प्रेषक,

धर्मेन्द्र प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सिंद्धार्थनगर(सिद्धार्थनगर)/गौरा बरहज(देवरिया)/ जालौन(उरई)।

2- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सहजनवां(गोरखपुर)/ ऊगू(उन्नाव)/ मेंहदावल(संतकबीरनगर)/ अमीनगर सराय(बागपत)/ गौरी बाजार(देवरिया)/ सिद्धपुरा(कासगंज)/ उसहैत(बदायूं)/ महोली(सीतापुर)/ बिशारतगंज(बरेली)/ सिराथू(कौशाम्बी)/ मुसाफिरखाना(अमेठी)/ बल्देव(मथुरा)/ बीघापुर(उन्नाव)।

नगर विकास विभाग-5

लखनऊ : दिनांक 03 नवंबर, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सेक्टर के 'पेयजल हेतु व्यवस्था' योजना के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 'पेयजल हेतु व्यवस्था' योजना के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यों के अनुसार प्रदेश की निम्नलिखित 16 नगरीय निकायों में पेयजलापूर्ति हेतु कुल रूपये 2279.12 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रूपये 570.00 लाख (रूपये पांच करोड़ सत्तर लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों, प्रतिबन्धों एवं विवरण के अनुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	गोरखपुर	नगर पंचायत सहजनवां	79.97	20.00
2	उन्नाव	नगर पंचायत ऊगू	182.114	45.00
3	संतकबीरनगर	नगर पंचायत मेंहदावल	79.83	20.00
4	सिद्धार्थनगर	नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर	196.62	50.00
5	बागपत	नगर पंचायत अमीनगर सराय	141.17	35.00
6	देवरिया	नगर पंचायत गौरीबाजार	129.94	32.00
7	कासगंज	नगर पंचायत सिद्धपुरा	138.08	35.00
8	बदायूं	नगर पंचायत उसहैत	151.75	38.00
9	सीतापुर	नगर पंचायत महोली	99.31	25.00
10	देवरिया	नगर पालिका परिषद गौरा बरहज	142.60	35.00
11	बरेली	नगर पंचायत बिशारतगंज	134.61	34.00
12	कौशाम्बी	नगर पंचायत सिराथू	187.87	46.00
13	अमेठी	नगर पंचायत मुसाफिरखाना	152.49	38.00
14	मथुरा	नगर पंचायत बलदेव	137.99	35.00
15	जालौन	नगर पालिका परिषद, जालौन (उरई)	166.28	42.00
16	उन्नाव	नगर पंचायत बीघापुर	158.50	40.00
		योग	2279.12	570.00

(रूपये पांच करोड़ सत्तर लाख मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकायों द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड -6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(6) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,70,00,000 (रुपये पांच करोड़ सत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215011010600 पेयजल हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

Akhileshwar Singh GO finance-2020-21

संख्या- 61 /2022/नौ-5-2022 /001-Com. No.1665844, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- संबंधित कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, उत्तर प्रदेश।

5- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

9- निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

10- सूपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-03/11/2022

प्रेषण संख्या:- 61
आवंटन आदेश संख्या:- 001-61-2022-9-5-2022-001-CN-1665844
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
01 - जलपूर्ति
101 - शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम
06 - पेयजल हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	मथुरा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 3500000	3500000 3500000
2	बरेली-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3400000 3400000	3400000 3400000
3	बदायूं-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3800000 3800000	3800000 3800000
4	जालौन-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4200000 4200000	4200000 4200000
5	गोरखपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 12875000	2000000 12875000
6	देवरिया-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6700000 6700000	6700000 6700000
7	उन्नाव-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8500000 42121000	8500000 42121000
8	सीतापुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000	2500000 2500000
9	सिद्धार्थनगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 28756000	5000000 28756000
10	संत कबीर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 2000000	2000000 2000000
11	कौशाम्बी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4600000 4600000	4600000 4600000
12	बागपत-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 3500000	3500000 3500000
13	कासगंज-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 12900000	3500000 12900000
14	अमेठी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3800000 3800000	3800000 3800000
	योग	वर्तमान प्रगामी	57000000 134652000	57000000 134652000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ सत्तर लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तेरह करोड़ छियालीस लाख बावन हजार

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

नगर पंचायत-अमीनगर सराय

जनपद-बागपत

मांगेराम
अध्यक्ष
9412082677

निवास :-
अमीनगर सराय, जनपद-बागपत (उ. प्र.)
9012000044
drmangeramyadav@gmail.com
/chairmanaminagarsarai
/mangeramyadav
npaminagarsarai.com

पत्रांक 1190/न०पं० अ०/2022-23 दिनांक 17.06.2022

सेवा में,

माननीय नगर विकास मंत्री जी,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

विषय : शहरी क्षेत्रों में "नगरीय पेयजल योजना" के सापेक्ष धनराशि स्वीकृत/आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद बागपत कीं सबसे छोटी विकासशील नगर पंचायत है। नगर पंचायत अमीनगर सराय की वर्तमान जनसंख्या लगभग 15000 है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 05 वर्ग किलोमीटर है। नगर पंचायत में अवस्थापना सुविधाओं की कमी के कारण सुव्यवस्थित रूप से कस्बें का विकास नहीं हो पाया है। देहाती कस्बा होने के कारण नगर पंचायत में आय के संसाधन सीमित है। आय के सीमित संसाधन होने के कारण व आर्थिक स्थिति सुदृढ न होने के कारण नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद बागपत में पेयजल की सुचारू रूप से व्यवस्थ करने में सक्षम नहीं है। नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित पेयजल की सुविधाओं का अभाव है। नगर पंचायत अमीनगर सराय में पेयजल की व्यवस्था करना जनहित व निकायहित में आवश्यक है। नगर में पेयजल की व्यवस्था को सुचारू रूप से करने हेतु नगर पंचायत द्वारा कार्ययोजना तैयार करायी गयी है।

अतः माननीय महोदय से अनुरोध है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए नगरीय क्षेत्र में पेयजल हेतु बनायी गयी कार्ययोजना को स्वीकृत कराने का कष्ट करें।

नगर की जनता के साथ-साथ मैं स्वयं भी आपका आभारी रहूंगा।

ससम्मान!

भवदीय

(मांगेराम)
अध्यक्ष
नगर पंचायत
अमीनगर सराय (बागपत)

कार्यालय नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद बागपत

npasarai@gmail.com M. No.08189077892

पत्रांक :1190/न0पं0अ0/पेयजल/बागपत/2022–23 दिनांक : 17-06-2022

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग, अनुभाग–05,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत "नगरीय पेयजल योजना" के क्रियान्वयन/कार्य योजना के सापेक्ष धनराशि आबंटित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निवेदन करना है कि वित्तीय वर्ष 2022–2023 में नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद–बागपत द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पाईप लाईन डालने एवम् नलकूप अधिष्ठापन करने हेतु कार्य योजना तैयार की गयी है। प्रस्तावित आगणन/कार्य योजना को सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराया गया है जो नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रस्तुत की गयी। नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद बागपत के आय के स्रोत कम होने के कारण नगरीय क्षेत्र में पेयजल समस्या बनीं रहती है। जिसको नगर पंचायत द्वारा निजी स्रोतो से वहन करना सम्भव नहीं है। जनहित व निकायहित में समस्याओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुए नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद बागपत द्वारा पाईप लाईन डालने एवं नलकूप अधिष्ठापन कराने की आवश्यकता है।

श्रीमान जी, जनहित व निकायहित में नगर में पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कार्य योजना/डी0पी0आर0 जिसकी अनुमानित आगणन धनराशि रूपये 14117826.00 (एक करोड इकतालिस लाख सत्रह हजार आठ सौ छब्बीस) रूपये राज्य सेक्टर के अन्तर्गत "नगरीय पेयजल योजना" के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत/अवमुक्त कराने का कष्ट करें।

ससम्मान्

उपजिलाधिकारी, बागपत/
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अमीनगर सराय
जनपद बागपत

अध्यक्ष
नगर पंचायत अमीनगर सराय
जनपद बागपत

कार्यालय नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद बागपत

npasarai@gmail.com M. No.08189077892

'नगरीय पेयजल योजना' के अन्तर्गत
प्रस्तावित कार्यो की सूची
वित्तीय वर्ष 2022–2023

क0सं0	कार्य का नाम/प्रकार	अनुमानित धनराशि
1	कस्बा अमीनगर सराय में पेयजल हेतु 01 नलकूप अधिष्ठापन का कार्य।	2633634.00
2	अमीनगर सराय में पेयजल हेतु नलकूप के कमरे का निर्माण कार्य।	313472.00
3	कस्बा अमीनगर सराय में मिनी नलकूप अधिष्ठापन का कार्य।	525300.00
4	वार्ड न0 2 चौराहे से पंजावा बस्ती तक पेयजल हेतु 300 मीटर पाईप लाईन का कार्य।	155433.00
5	कस्बा अमीनगर सराय में नलकूप हेतु एक नग जी0पी0आर0एस0 बैस्ड, टयूबवैल ऑटोमेशन सिस्टम की आपूर्ति एवम् अधिष्ठापन का कार्य।	288500.00
6	नगर के विभिन्न स्थानों पर इंडिया मार्का–II नये हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का कार्य।	1161120.00
7	अमीनगर सराय में इंडिया मार्का–II हैण्डपम्पों के रिबोर का कार्य।	1144097.00
8	कस्बा अमीनगर सराय, जनपद बागपत में नलकूप हेतु दो नग डोजर पम्प की आपूर्ति एवम् अधिष्ठापन का कार्य।	180000.00
9	नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद बागपत में 05 नग ड्रिंकिंग वाटर वैन्डिंग मशीन की आपूर्ति एवम् अधिष्ठापन का कार्य।	1500000.00
10	नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद बागपत में एक नग स्टेनलैस स्टील वाटर टैंकर क्षमता 5000 लीटर की आपूर्ति का कार्य।	750000.00
11	नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद बागपत में एक नग 33 एच0पी0 थ्री फेस समरसैबिल पम्प सैट की आपूर्ति का कार्य।	240000.00
12	नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद बागपत में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु वाटर एटीएम (आर0ओ0 सहित) 500 एलपीएच की आपूर्ति एवम् अधिष्ठापन का कार्य।	3975000.00

कार्यालय नगर पंचायत अमीनगर सराय, जनपद बागपत

npasarai@gmail.com M. No.08189077892

13	वार्ड न0 6 फौवारा चौक से जनता स्कूल तक पेयजल हेतु पाईप लाईन का कार्य।	187913.00
14	वार्ड न0 03 भूषण की दुकान से श्मशान तक पेयजल हेतु पाईप लाईन का कार्य।	538164.00
15	वार्ड न0 05 सुभाष के घर से चौ0 चरणसिंह मार्ग तक पेयजल हेतु पाईप लाईन का कार्य।	168239.00
16	वार्ड न0 10 आशाराम के मकान से जयभगवान के मकान तक सहायक गलियों सहित पेयजल हेतु पाईप लाईन का कार्य।	141021.00
17	वार्ड न0 04 राकेश शर्मा के मकान से पशु अस्पताल तक सहायक गलियों सहित पेयजल हेतु पाईप लाईन का कार्य।	114905.00
18	वार्ड न0 06 पवन की दुकान से सुधीर की दुकान तक सहायक गलियों सहित पेयजल हेतु पाईप लाईन का कार्य।	131028.00
	योग	14117826.00

प्रमाणित किया जाता है कि 'नगरीय पेयजल योजना' के अन्तर्गत आगणन/कार्य योजना की सूची नगर पंचायत अमीनगर सराय द्वारा प्रस्तावित है।

उपजिलाधिकारी, बागपत/
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अमीनगर सराय
जनपद बागपत

अध्यक्ष
नगर पंचायत अमीनगर सराय
जनपद बागपत